छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | दशम् सत्र | अंक-07

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 मार्च, 2021</u>

(फाल्गुन 11, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 20 (कुल 20) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल के स्थान पर श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य अधिकृत रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 37 तारांकित एवं 50 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20,

(2) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-44/2014/32, दिनांक 27 नवम्बर, 2020,

(3) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-24/2018/32, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2020, तथा

(4) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

(i) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का छप्पनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20,

(ii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20,

(iii) संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020),

(iv) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20, तथा

(v) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (1 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020)

पटल पर रखे ।

3. पृच्छा

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर एवं अन्य प्रतिपक्षी सदस्यों ने दंतेवाड़ा के कारली पुलिस लाईन में कुमारी पांडे कवासी की हत्या कर आत्महत्या बताये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

माननीय सभापति ने कथन किया कि आपकी स्थगन प्रस्ताव की सूचना आज ही प्राप्त हुई है, जो कि विचाराधीन है ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138

(3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.11 बजे स्थगित की जाकर 12.18 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(1) डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य ने नगरी ब्लॉक के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होने के कारण ऑनलाईन शिक्षा में असुविधा होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सीजीएमएससी द्वारा अमानक दवा की सप्लाई किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड छुईखदान अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में गुणवत्ताहीन रेडी-टू-ईट खाद्य सामग्री का वितरण किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(2) श्री धनेन्द्र साहू

(3) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

(4) श्री संतराम नेताम

(5) श्री अरूण वोरा

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-88, दंतेवाड़ा से निर्वाचित सदस्य श्रीमती देवती कर्मा को फरवरी-मार्च, 2021 सत्र में दिनांक 24 फरवरी, 2021 से दिनांक 04 मार्च, 2021 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई ।)

8. समितियों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए 9-9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2) नियम 223-ख के उप नियम (1) तथा 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अवधि के लिए अपने में से नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम(1) की

अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2021-2022 की अवधि के लिए अपने में से 09 सदस्य, जिनमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में वर्ष 2021-22 की अवधि हेतु क्रमश: नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा मंगलवार दिनांक 09 मार्च, 2021 को अपराह्न 1.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- दो में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2021 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2021 को प्रात: 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

9. वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

डॉ.रमन सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, संतराम नेताम,

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री नारायण चंदेल, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, श्री सौरभ सिंह, डॉ. विनय जायसवाल, सर्वश्री रजनीश कुमार सिंह, प्रकाश शक्राजीत नायक,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री देवव्रत सिंह, श्रीमती इंदू बंजारे, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सदन के समय में 6.00 बजे तक की वृद्धि की घोषणा की ।)

सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, शैलेष पाण्डेय, रामकुमार यादव, गुलाब कमरो, देवेन्द्र यादव,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती ममता चन्द्राकर, (जारी)

सायं 05.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 03 मार्च, 2021 (फाल्गुन 12, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा